



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 60, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 12 अप्रैल, 2016

No. 60, Port Blair, Tuesday, April 12, 2016

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
पोर्ट ब्लेयर

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 12 अप्रैल, 2016

सं. 57/2016/फा.सं./अ.नि.द्वी./खा.ग्रा.उ.बो./1-15/स्थापना/2014/खण्ड-II.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, विनियमन, 1988 (1988 का सं. 1) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस प्रशासन के दिनांक 06.01.2015 की अधिसूचना सं. 04/2015/फा. सं. अ.नि.द्वी./खा.ग्रा.उ.बो./1-15/स्थापना/2014/खण्ड-II का अधिक्रमण करते हुए, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए दिनांक 12.04.2016 से अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का पुर्नगठन करते हैं:-

1.	मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर	अध्यक्ष
2.	सचिव (उद्योग), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर	उप-अध्यक्ष
3.	प्रबंध निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
4.	राज्य निदेशक, के.वी.आई.सी., कोलकाता	सदस्य
5.	क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
6.	प्रमुख, पंचायत समिति, डिगलीपुर	सदस्य
7.	अध्यक्षा, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
8.	अध्यक्षा, जनजाति परिषद, कार निकोबार	सदस्य
9.	अध्यक्षा, जनजाति परिषद, ननकौरी	सदस्य
10.	उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य सचिव-व-कोषाध्यक्ष

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर जारी,

ह./—

(एम. एन. मुरली)
संयुक्त सचिव (उद्योग)

**A&N ISLANDS KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD
PORT BLAIR**

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 12th April, 2016

No. 57/2016/F. No. A&NI/KVIB/1-15/Estt./2014/Vol.-II.— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Andaman and Nicobar Islands Khadi and Village Industries Board Regulation, 1988 (No.1 of 1988) and in supersession of this Administration's Notification No. 04/2015/F. No. A & N I/KVIB/1-15/Estt/2014/ Vol.-II, dated 06.01.2015, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby re-constitute the Andaman and Nicobar Islands Khadi and Village Industries Board for a further period of 3 (three) years with effect from 12.04.2016 with the following members:-

1.	Chief Secretary, A & N Administration, Port Blair	Chairman
2.	Secretary [Industries], A & N Administration	Vice Chairperson
3.	Managing Director A & N State Co-operative Bank, Port Blair	Member
4.	State Director, KVIC, Kolkata	Member
5.	Regional Manager, Regional Office, SBI, Port Blair	Member
6.	Pramukh, Panchayat Samiti, Diglipur	Member
7.	Chairperson, Social Welfare Advisory Board, Port Blair	Member
8.	Chairperson, Tribal Council, Car Nicobar	Member
9.	Chairperson, Tribal Council, Nancowry	Member
10.	Director of Industries, A & N Administration, Port Blair	Member Secretary-cum-Treasurer

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
(M.N. Murali)
Joint Secretary (Ind.)